खिलाड़ियों हेतु नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण एवं पेंशन योजनाएँ

प्रिलिम्स के लिये:

टारगेट ओलंपिक पोडियम (TOP) योजना, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिये स्पोर्ट्स फंड, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं और उनके कोच को नकद पुरस्कार की योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्सपर्सन (PDUNWFS)।

मेन्स के लिये:

खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सार्वजनिक संस्थान की भूमिका, मानव विकास, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत की भागीदारी।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने **खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण, पेंशन** और खेल विभाग (dbtyas-sports.gov.in) की योजनाओं के लिये वेब पोर्टल एवं राष्ट्रीय खेल विकास निधि वेबसाइट (nsdf.yas.gov.in) की संशोधित योजनाओं की शुरुआत की।

योजनाओं में संशोधन:

- **इन योजनाओं हेतु प्रत्यक्ष प्रयोज्यता (Applicability):**
  - अब कोई भी **व्यक्तिगत खिलाड़ी तीनों योजनाओं के लिये सीधे आवेदन कर सकता है** (पहले प्रस्ताव खेल संघों/SAI के माध्यम से प्राप्त होते थे, जिसमें आमतौर पर 1-2 साल से अधिक का समय लगता था)।
    - आवेदकों को अब विशेष आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर नकद पुरस्कार योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- **मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन:**
  - **डेफलम्पिक्स के खिलाड़ियों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है।**
- **कार्यान्वयन हेतु वेब पोर्टल:**
  - इन योजनाओं को लागू करने एवं **लाभ प्रदान करने के लिये खेल विभाग (DoS) ने उपरोक्त योजनाओं में आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की सुविधा हेतु वेब पोर्टल dbtyas-sports.gov.in विकसित किया है।**
  - यह **ऑनलाइन पोर्टल** खिलाड़ियों के आवेदनों की **रीयल टाइम ट्रैकिंग और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP)** के माध्यम से प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
    - मंत्रालय को अब आवेदनों को **भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।**
  - पोर्टल खिलाड़ियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यक **रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही डेटा प्रबंधन का कार्य भी करेगा।**
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF):**
  - DoS ने 'राष्ट्रीय खेल विकास कोष' (NSDF) के लिये **समर्पित इंटरैक्टिव वेबसाइट nsdf.yas.gov.in भी विकसित की है।**
    - **यह फंड देश** में खेलों के प्रचार और विकास के लिये केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), निजी कंपनियों तथा व्यक्तियों आदि के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान पर आधारित है।
  - व्यक्तिगत, संस्था और कॉर्पोरेट संगठन अब पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों, खेल सुविधाओं तथा खेल आयोजनों के लिये सीधे योगदान कर सकते हैं।
    - NSDF कोष का उपयोग 'लक्ष्य ओलंपिक पोडियम' (TOP) योजना, प्रख्यात खिलाड़ियों और खेल संगठनों द्वारा बुनियादी ढाँचे के विकास आदि के लिये किया जाता है।

संशोधित योजना:

- **मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन के लिये खेल कोष:**
  - **परिचय:**
    - इसका उद्देश्य **ओलंपिक खेलों,** राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, पैरालंपिक खेलों में शामिल विधाओं में पदक विजेताओं को

सक्रयि खेलों से उनकी सेवानिवृत्तिके बाद या 30 वर्ष की आयु के बाद आजीवन मासकि पेंशन प्रदान करना है।
        - यह योजना उन खलािड़ियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपकि और एशियाई खेलों में विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपकि खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीते हैं।
        - खलािड़ी को पेंशन उसके 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर देय होगी और यह उसके जीवनकाल के दौरान जारी रहेगी।
    - **दी गई सहायता:**
        - ओलंपकि/पैरालंपकि खेलों में पदक विजेता को 20,000 रुपए।
        - विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता (ओलंपकि/एशियाई खेलों में) को 16,000 रुपए।
        - विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप (ओलंपकि/एशियाई खेल) में रजत/कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 14,000 रुपए।
        - एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपए।
- **अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं व उनके प्रशिक्षकों हेतु नकद पुरस्कार की योजना:**
    - **नकद पुरस्कार की योजना वर्ष 1986 में शुरू की गई** और वर्ष 2020 में संशोधित की गई थी।
    - उत्कृष्ट खलािड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहति करना, उन्हें उच्च उपलब्धियों के लिये प्रोत्त्साहति और प्रेरति करना तथा युवा पीढ़ी को खेलों के प्रतिआकर्षति करने के लिये प्रेरक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना।
    - पुरस्कार निम्नलिखित विषयों में दिये जाएंगे:
        - ओलंपकि खेलों/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में
        - शतरंज
        - बलियिर्ड्स और स्नूकर

नोट:

उत्कृष्ट खलािड़ी का अर्थ ऐसे खलािड़ी से है जिसने राष्ट्रीय खेल परसिंघों द्वारा आयोजति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में व्यक्तिगत स्पर्द्धाओं और टीम स्पर्द्धाओं में प्रथम तीन में स्थान हासलि किया है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, या भारतीय ओलंपकि संघ के तत्त्वावधान में आयोजति **राष्ट्रीय खेलों**, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्त्वाधान में आयोजति **अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट** या जिसने **ओलंपकि खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में शामलि खेल विधाओं में वरिष्ठ श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है।**

खलािड़ियों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS):

- PDUNWFS की स्थापना वर्ष 1982 में (2016 में संशोधित) की गई थी, जिसका उद्देश्य उन मेधावी खलािड़ियों की सहायता करना था, जिन्होंने खेल में देश को गौरवान्वित किया था।
    - पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मेधावी खलािड़ियों के लिये पहले से ही पेंशन की एक योजना है।
- **निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जाएगा:**
    - **मेधावी खलािड़ियों को उपयुक्त सहायता** प्रदान करना।
        - गरीबी में रह रहे मेधावी खलािड़ियों को उपयुक्त सहायता।
        - **चोट की प्रकृति के आधार पर प्रतियोगिताओं के लिये अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल होने पर।**
        - अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित करने वाले मेधावी खलािड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारणवश विकलांग होने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सा उपचार में मदद करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/schemes-of-cash-awards,-national-welfare-and-pension-to-sportspersons